राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83–III/अलेसे–II/8774–85 दिनांकः– 26.07.2012

कार्यालय आदेश संख्या 191/2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सूर्यप्रकाश शर्मा	01.07.1959	11.03.1985	11.03.2012	
2.	राजेश कुमार जैन	01.07.1958	11.03.1985	11.03.2012	
3.	विनोद कुमार मंगल	09.08.1955	11.03.1985	11.03.2012	
4.	घनश्याम बाल्दी	27.04.1955	11.03.1985	11.03.2012	
5.	कैलाश चन्द शर्मा	30.06.1957	11.03.1985	11.03.2012	
6.	रणधीर सिंह	20.08.1959	11.03.1985	11.03.2012	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 5 एवं 6 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य– मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षो की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी. पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारो की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है तथा वित्त विभाग के आदेश एफ.20 (1) एफ.डी. (ग्रुप–2)/92 Pt (RSR–3/95) दिनांक 16.02.95 के अनुसार दिनांक 25.01.92 अथवा इसके पश्चात् किसी भी लेखाकार द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं कराया गया है, इसकी भी सुनिश्चितता आवश्यक रूप से कर ली जावे। उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थिरीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निदेशक

क्रमांक :– एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83–III/अलेसे–II/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..
2. श्री..लेखाकार, कार्यालय..
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक– I)